तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री विरेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
श्री ओ.पी. भटट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांक 07.02.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वितीय जयपुर के निर्णय दिनांक 9–7–1976 की अनुपालना में नामान्तरकण संख्या–1479 प्रार्थी विशम्भरलाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बग्गड के नाम तहसीलदार, झुझुंनू द्वारा दिनांक 5–3–1988 को स्वीकृत किया, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने अपर जिला कलक्टर, झुझुंनू के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–02–2001 को मियाद के बिन्दू पर खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 ने सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20–8–2004 से स्वीकार कर अपर कलक्टर, झुझुंनू के आदेश दिनांक 29–3–2001 एवं नामान्तरकण संख्या 1479 पर तहसीलदार, झुझुंनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–3–1988

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं विधिक के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर, झुझुनू ने अपने आदेश दिनांक 17–9–1975 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 604, 605 एवं 610 की भूमि को अन्य भूमियों के साथ सार्वजनिक उपयोग हेतु सेटअपार्ट किया, जिला कलक्टर के इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 9–7–1976 से विवादित आराजी खेल मैदान हेतु इस्तेमाल की जावेगी, का आदेश पारित किया, जिसकी अनुपालना में तहसीलदासर, झुझुंनू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1479 दिनांक 5–3–1988 को स्वीकृत किया। उनका कथन है कि इसी विवादित आराजी बाबत् जिला कलक्टर, झुझुंनू द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 67/2001 प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 1479 दिनांक 5–3–1988 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–3–2002 से निरस्त कर दिया। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने जिला कलक्टर, झुझुंनू के पूर्व आदेश दिनांक 17–9–1975 की पालना हेतु जिला कलक्टर, झुझुंनू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे जिला कलक्टर, झुझुंनू द्वारा दिनांक 24–7–2002 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि जिला कलक्टर के पूर्व आदेश दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुंझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	17–09–1975 की पालना करवाने का अधिकार उन्हें नहीं है और यह भी निर्देशित किया कि विवादित भूमि स्कूल के खेल मैदान के रूप में काम आ रही है जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है एवं पानी के बहाव के काम में आ रही है। जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–7–2002 में यह भी निर्देशित किया कि दोनों ही पक्षकार उक्त भूमि पर कोइ निर्माण कार्य नहीं करेगें। उनका कथन है कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 24–7–2002 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जो राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–3–2006 से निरस्त कर दी। उनका कथन है कि सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों एवं पूर्व पारित निर्णयों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, झुंझुंनू द्वारा स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 1479 दिनांक 5–3–1988 को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 1992 आरआरडी पेज 356 एवं 2005 आरआरटी II पेज 1032 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रजास्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 9–7–1976 में विवादित आराजी को केवल छात्रों के क्रीडास्थल में प्रयोग लिये जाने हेतु निर्देश दिये थे जबकि तहसीलदार ने विवादित नामान्तरकण संख्या 1479 दिनांक 5–3–1988 से उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुंझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि को प्रार्थी स्कूल के नाम दर्ज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध एवं अवैध होने से निरस्त येाग्य था। उनका कथन है कि धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो उसकी पालना उसी प्रकार की जानी चाहिए जबकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकण स्कूल के नाम स्वीकृत किया गया वो कतेई विधिक विरूद्ध था क्योंकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विवादित भूमि का उपयोगब केवल मात्र छात्रों के क्रीडास्थल के रूप में पूर्ववत किये जाने के आदेश दिये थे ना कि उक्त भूमि को विश्म्भरलाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बग्गड के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये थे। इसलिए उक्त नामान्तरकण धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर ने उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की। उनकाकथन है कि जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 17–9–1975 केवल मात्र भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में था ना कि भूमि को आवंटन या हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, ना ही कोई क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। योग्य उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में सार्वजनिक हित निहित होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, झुझुनू ने अपने आदेश दिनांक 17-9-1975 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 604, 605 एवं 610 की भूमि को अन्य भूमियों के साथ सार्वजनिक उपयोग हेतु सेटअपार्ट किया। जिला कलक्टर के इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वितीय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 9-7-1976 से अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित आराजी पूर्ववत छात्रों के क्रिडा स्थल के प्रयोग में आती रहेगी, का आदेश पारित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर द्वारा पारित उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, झुझुंनू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1479 दिनांक 5-3-1988 को स्वीकृत किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि इसी विवादित आराजी बाबत् जिला कलक्टर, झुझुंनू द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 67/2001 प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 1479 दिनांक 5-3-1988 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-3-2002 से निरस्त कर दिया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने जिला कलक्टर, झुझुंनू के पूर्व आदेश दिनांक 17-9-1975 की पालना हेतु जिला कलक्टर, झुझुंनू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे जिला कलक्टर, झुझुंनू द्वारा दिनांक 24-7-2002 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को पाबन्द किया कि विवादित स्थल पर आगे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करें। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 24-7-2002 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27-3-2006 से निरस्त कर दी। प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर, झुझुंनू का आदेश दिनांक 17-09-1975 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-7-1976 से विवादित आराजी खसरा नम्बर 604, 605 एवं 610 की भूमि को पूर्ववत् छात्रों के क्रिडा स्थल के प्रयोग में आती रहेगी, का आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसरण में तहसीलदार, झुझुंनू द्वारा विवादित आराजी को अप्रार्थी संख्या-1 की खातेदारी में नामान्तरकरण संख्या 1479 दिनांक 5-3-1988 से दर्ज की गयी है। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकण के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने अपर जिला कलक्टर, झुझुंनू के न्यायालय में वर्ष 2001 में अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को विलम्ब के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं सद्भाविक नहीं होना मानते हुए विधिसम्मत् आदेश से खारिज की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी, द्वितीय, जयपुर के निर्णय के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को उक्त पारित मूल निर्णय के प्रभाव में रहते नामान्तरकरण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के माध्यम से निरस्त किया जाना योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उद्धरित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/920/2005/झुझुंनू विशम्भर लाल सी.सै.स्कूल बनाम फतेह सागर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायिक दृष्टान्त 1992 आरआरडी पेज 356 एवं 2005 आरआरटी II पेज 1032 में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-08-2004 को निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	